

**निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक के आबंटन के लिए आवेदन का प्रोफार्मा**

(दल का नाम – दल का लेटर हेड)

सेवा में

**सचिव**

भारत निर्वाचन आयोग,  
निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

विषय : निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक के आबंटन के लिए आवेदन ।

महोदय,

अनुरोध है कि -----

(आवेदक दल का नाम) को . . . . . (निर्वाचन का उल्लेख करें) के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 की धारा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक आबंटित किया जाए। उक्त प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत अपेक्षित विवरण नीचे दिए गए हैं:-

I	राजनीतिक दल का नाम :	
II	दल के मुख्यालय का पता (आयोग को यथा-सूचित) :	
III	वह तारीख/अवधि जब दल के पिछले संगठनात्मक चुनाव आयोजित किए गए थे :	
IV	उस साधारण निर्वाचन का नाम, जिसके लिए एक समान प्रतीक मांगा गया है :	

V	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल सं० जिनके लिए दल निर्वाचन लड़ने का इच्छुक है।												
VI	पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए												
	(क)	वरीयता के क्रम में वांछित प्रतीक	<table border="1"> <tr> <td>1)</td> <td>6)</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>7)</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>8)</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>9)</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>10)</td> </tr> </table>	1)	6)	2)	7)	3)	8)	4)	9)	5)	10)
1)	6)												
2)	7)												
3)	8)												
4)	9)												
5)	10)												
	(ख)	क्या मद VI (क) में उल्लिखित सभी प्रतीक आयोग की नवीनतम अधिसूचना की तालिका IV के अनुसार मुक्त प्रतीक हैं। (मुक्त प्रतीकों की नवीनतम अधिसूचना के लिए आयोग की वेबसाइट <a href="http://eci.nic.in-Political Parties-Election Symbols">eci.nic.in-Political Parties-Election Symbols</a> ) देखें :											
VII	क्या दल नए प्रतीकों का प्रस्ताव कर रहा है (मुक्त प्रतीकों से भिन्न) :												
	(क)	वरीयता क्रम में नए प्रतीकों का नाम, प्रतीकों के सुस्पष्ट डिजाइन और आरेख संलग्न हैं।	<table border="1"> <tr> <td>1)</td> </tr> <tr> <td>2)</td> </tr> <tr> <td>3)</td> </tr> </table>	1)	2)	3)							
1)													
2)													
3)													
VIII	ऐसे गैर-मान्यताप्राप्त दलों के लिए, जो 6 वर्ष से अधिक पहले मान्यताप्राप्त दल थे												
	(क)	प्रतीक का विकल्प											
	(ख)	क्या ऊपर VIII (क) में उल्लिखित प्रतीक उस समय दल का आरक्षित प्रतीक था, जब वह मान्यताप्राप्त दल था?											

IX	क्या संलग्नक I के अनुसार वचनपत्र दिया गया है?	
X	दल का ई-मेल आईडी, फ़ैक्स नं०	

दिनांक :

भवदीय,

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पदनाम (दल के अध्यक्ष/महासचिव)

दल की मुहर : .....

**वचन पत्र**

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री ..... (दल का नाम) .....  
का अध्यक्ष/महासचिव एतद्वारा वचन देता हूँ कि—

(i) यदि दल निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख की शर्त (i) में यथा विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो इसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबंटन की तारीख पर एक समान प्रतीक के आबंटन के लिए हकदार नहीं होंगे; और इसके साथ-साथ, दल ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी होगा जैसा आयोग उपयुक्त समझे; और

(ii) संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और क्रम सं० जिनमें दल निर्वाचन लड़ेगा, सूचित कर दिया है/सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से कम से कम 5 पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पदनाम (दल के अध्यक्ष/महासचिव)

दल की मुहर : .....